मानव अधिकार के सबो बर (सार्वभौम) घोसना

10 दिसंबर सन् 1948 के दिन यूनाइटेड नेशन्स के जनरल असेम्बली ह, मानव के अधिकार मन के सार्वभौम (सबो बर) घोसना ल स्वीकार करके घोसित करिस. येकर सबो पाठ आगू के पन्ना मन म दे गे हे. ये एतिहासिक काम के बाद असेम्बली ह सबो सदस्य देश मन ले अपील करिस के वो मन ये घोसना के परचार करंय अऊ देस अऊ प्रदेस मन के राजनैतिक स्थिति ऊपर आधारित भेदभाव के विचार करे बिना खास करके स्कूल अऊ दूसर सिक्छा केन्द्र मन म येकर परचार, परसार, परदर्सन, पठन अऊ व्याख्या के परबंध करंय.

इही घोसना के सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्र के 5 भाषा म मिलथे. अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी अऊ स्पेनिस. अनुवाद के जोन पाठ इहां दे गे हे, तौन भारत– सरकार के द्वारा स्वीकृत हे.

मानव अधिकार के सबो बर (सार्वभौम) घोसना

परस्तावना :

काबर के, मानव परिवार के सबो सदस्य मन के जनम ले मिले गौरव अऊ सम्मान के संग सरलग (अविच्छिन) अधिकार के स्वीकृति ह, विस्व-सान्ति, न्याय अऊ स्वतंत्रता के जड़ (बुनियाद) आय.

काबर के, मानव अधिकार मन के परति उपेक्छा अऊ घिरना (घृणा) के कारन अइसन बर्बर काम होइन, जेकर मन ले मनखे-मन के आत्मा ऊपर अतियाचार करे गिन.

काबर के, एक अइसन बिस्व-बेवस्था के वो इस्थापना ल (जेमा लोगन मन ल भासन अऊ धरम के आजादी अऊ डर अऊ कमी ले मुकति मिलही) सर्वसधारन बर सबले ऊंच इच्छा घोसित करे गे हे.

काबर के, अगर अन्यायपूर्ण सासन अऊ जुलुम के खिलाफ लोगन मन ल विद्रोह करे बर - उही ल आखरी उपाय समझ के, मजबूर नइ हो जाय बर हे. कानून के द्वारा नियम बनाके मानव के अधिकार मन के रक्छा करना अनिवार्य (जरुरी) हे.

काबर के, रास्ट्र मन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध मन ल बढ़ाय बर हे.

काबर के, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देखे मन के जनता ह बुनियादी मानव अधिकार मन म, मानव व्यक्तित्व के गौरव अऊ योग्यता म नर-नारी के बरोबर अधिकार मन म, अपन बिस्वास के अधिकार-पत्र म दोहराय गे हे। अऊ निश्चय करे गेहे के अऊ जादा स्वतंत्रता के अंतर्गत समाजिक परगति, अऊ जिनगी के ऊंच स्तर ल अऊ उप्पर उठाय जाय.

काबर के, सदस्य देस मन ह ये परितिग्या करे हें के ओमन, संयुक्त राष्ट्र मन के सहयोग ले मानव अधिकार मन बर अऊ बहुत जरुरी बुनियादी आजादी मन के प्रति सार्वभौम सम्मान (सबो बर आदर) म बढ़ोत्तरी कर बो.

काबर के, ये परतिग्या व पूर्ण करे बर ये अधिकार अऊ आजादी मन के जमो स्वरुप ल ठीक ठीक समझना सबसे जादा जरुरी हे.

येकर पाय के अब, सामान्य सभा घोसित करत हे के मानव अधिकार - मन के ये सार्वभौम (सबो बर) घोसना सबो देस अऊ सबो लोगन के बरोबर सफलता हे. येकर उद्देस्य ये हे के सबो लोगन (व्यक्ति) अऊ समाज के हरेक-हिस्सा, ये घोसना व लगातार दृष्टि म राखत पढ़ई ऊ सिक्छा के द्वारा ये कोसिस करही के ये अधिकार अऊ आजादी मन के प्रति आदर के भावना जागृत होवय, अऊ आघू अइसन रास्ट्रीय अऊ अन्तर्रास्ट्रीय उपाय करे जायं, जेकर ले सदस्य देस मन के जनता अऊ ओकर द्वारा अधिकृत प्रदेस मन के जनता अऊ ओमन के द्वारा ये अधिकार मन के सार्वभौम (सबो बर) अऊ परभावसाली स्वीकृति देय, अऊ ओकर मन के पालन करावंय.

अनुच्छेद-1. सबो लोगन मन के गौरव अऊ अधिकार मन के मामला म जनम ले मिले स्वतंत्रता अऊ बरोबरी मिले हे. ओमन ल बुद्धि अऊ अन्तरात्मा के देन मिले हे अऊ ओमन ल एक दूसर ल परेम भाईचारा के भाव ले बेवहार करना चाही.

अनुच्छेद-2. सबो ल ये घोसना म सामिल सबो अधिकार अऊ आजादी मन ल प्राप्त करे के हक हे, अऊ ये मामला म जाति, बरन, लिंग, भासा, धरम, राजनीति अऊ दूसर विचार प्रणाली, कोनो देस या समाज-बिसेस म जनम, धन, अऊ कोनो दूसर अऊ मर्यादा मन के कारन भेदभाव के विचार नइ करे जाही.

येकर अलावा चाहे कोनो देस या परदेस स्वतंत्र हो, संरक्षित रहय, या स्वशासन रहित होवय, या सीमित प्रभुसत्ता होवय, या वो देस के राजनैतिक, क्षेत्रीय अऊ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार कोनो आधार म ऊहां के रहइया - बसइया मन बर कोनो फरक नइ राखे जाही.

अनुच्छेद-3. हरेक मनखे ल जिनगी, स्वतंत्रता अऊ व्यक्तिगत सुरक्छा के अधिकार हे.

अनुच्छेद-4. कोनो भी गुलामी या दासता के हालत म नइ राखे जाही. गुलामी प्रथा अऊ दास मन के बेपार अपन सबो रुप म निसिद्ध (रोक) है.

अनुच्छेद-5. कोनो ल शारीरिक यातना नइ दे जाही, अऊ काकरो प्रति निर्दय, अमानवीय अऊ अपमानजनक बेवहार नइ होही.

अनुच्छेद-6. हरेक ल हर जगह कानून के आंखी म मनखे के रुप म स्वीकार अउ पाय के अधिकार हे.

अनुच्छेद-7. कानून के नजर म सबो बरोबर हे. सबो बिना भेदभाव के बरोबर कानूनी सुरक्छा के हकदार हें. अगर ये घोसना के उल्लंघन करके कोनो भेदभाव करे जाही या वइसने भेदभाव ल कोनो परकार से उकसाये जाही, त ओकर खिलाफ बरोबर-संरक्षण के अधिकार सबो ल मिले हे.

अनुच्छेद-8. सबो ल संविधान या कानून के द्वारा मिले बुनियादी अधिकार मन के उल्लंघन करे. काम के खिलाफ समुचित राष्ट्रीय अदालत मन म उचित मदद पाये के हक हे.

अनुच्छेद-9. कोनो ल मनमाने ढंग ले गिरफ्तार, नजरबन्द या देस निकाला नइ करे जाही.

अनुच्छेद-10. सबो ल पूरा, बरोबर रुप ले हक हावय के उन्खर अधिकार अऊ कर्त्तव्य मन के निश्चय करे के मामला मन म अऊ उन्कर ऊपर आरोपित फौजदारी के कोनो मामला म उन्कर सुनवाई न्यायोचित अऊ सार्वजनिक रुप ले निरपेक्ष अऊ निस्पक्छ अदालत के द्वारा हो पाय.

अनुच्छेद-11. (1) हरेक मनखे (व्यक्ति) जेकर ऊपर दन्डनीय अपराध के आरोप करे गे होवय, तब तक वो हा निरपराध माने जाही, जब तक ओला अइसन खुले अदालत म, जिहां ओला अपन सफाई के सबो जरुरी सुभीता मिलय कानून के दवारा अपराधी न सिद्ध कर दिये जाय.

(2) कोनो भी मनखे, कोनो अइसे करे या न करे (अपराध) के कारन वो दंडनीय अपराध के अपराधी नइ माने जाही, जोन ला ओ समय के प्रचलित राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय अपराध नइ माने जाय अऊ न ओकर ले जादा भारी सजा दिये जा सकय, जोन वो समे म दिये जातिस, जोन समे वो दन्डनीय अपराध करे गे रिहिस.

अनुच्छेद-12. कोनो मनखे (व्यक्ति) के अकेलापन, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोनो हस्तक्षेप नइ करे जाही, न काकरो सम्मान अऊ परसिद्धि म कोनो आक्षेप हो सकही, अइसन हस्तक्षेप या आक्षेप के खिलाफ हरेक व्यक्ति ल कानूनी रक्छा के अधिकार मिले हे.

अनुच्छेद-13. (1) हरेक व्यक्ति (मनखे) ल हरेक देस के सीमा के भीतर आजादीपूर्वक आये-जाये अऊ रहे-बसे के अधिकार हावय.

(2) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल अपन या दूसर कोनो भी देस ल छोड़के अपन देस म वापिस आय के अधिकार हावय.

अनुच्छेद-14. (1) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल सताये जाय म दूसर देस म सरन लेय के अऊ रहे के अधिकार हावय.

(2) ये अधिकार के लाभ अइसन मामला म नइ मिलही जोन वास्तव म गैर राजनैतिक अपराध मन ले संबंधित हे या जोन संयुक्त रास्ट्रमन के उद्देश्य अऊ सबो सिद्धान्त मन के खिलाफ काम हे.

अनुच्छेद-15. (1) हरेक व्यक्ति (मनखे) ल कोनो भी राष्ट्र विसेस के नागरिकता पाय के अधिकार हावय.

(2) कोनो भी ल मनमाने ढंग ले अपन रास्ट्र के नागरिकता ले वंचित नइ करे जा सकही या नागरिकता के परिवर्तन करे ले मना नइ किये जा सकही.

अनुच्छेद-16. (1) बालिग स्त्री-पुरुष मन ल बिना कोनो जाति, राष्ट्रीयता, या धर्म के रुकावट म, आपस म बिहाव करे के अऊ परिवार बसाये के हक हावय। ओमन ल बिहाव के विषय म शादीशुदा जिनगी म अऊ तलाक (बिहाव टूटे) के बारे म बरोबर हक हावय।

(2) बिहाव के इरादा रखइया स्त्री-पुरुष मन के पूरा अऊ स्वतन्त्र -सहमति होय म ही बिहाव हो सकही.

(3) परिवार समाज के स्वाभाविक अऊ बुनियादी सामूहिक इकाई हे. अऊ ओला समाज अऊ राज्य द्वारा संरक्षण पाय के अधिकार हावय.

अनुच्छेद-17. (1) हरेक व्यक्ति (मनखे) ल अकेला अऊ दूसर संग सम्पत्ति राखे के अधिकार हे.

(2) कोनो भी ल मनमाने ढंग ले ओकर सम्पत्ति ले वंचित नइ करे जा सकही.

अनुच्छेद-18. हरेक व्यक्ति (मनखे) ल विचार, अन्तरामा अऊ धर्म के आजादी के अधिकार हे. ये अधिकार के अन्तर्गत अपन धरम या बिस्वास बदले अऊ अकेल्ला या दूसर संग मिलके अऊ सार्वजनिक रुप म या निजी तौर म अपन धरम या बिस्वास ल सिक्छा, क्रिया, उपासना अऊ बेवहार के द्वारा परगट करे के स्वतन्त्रता हावय.

अनुच्छेद-19. हरेक मनखे (व्यक्ति) ल बिचार अऊ अभिव्यक्ति के स्वतन्त्रता के अधिकार हावय. येकर अन्तर्गत बिना हस्तक्षेप के कोनो राय रखे अऊ कोनो माध्यम के द्वारा अऊ सीमा के परवाह करे बिना काकरो सूचना अऊ धारणा के खोज, ग्रहण अऊ प्रदान सामिल हावय.

अनुच्छेद-20. (1) हरेक व्यक्ति (मनखे) ल सान्तिपूर्ण सभा करे के अऊ समिति बनाय के स्वतन्त्रता के अधिकार हे.

(2) कोनो ल, कोनो संस्था के सदस्य बनाय बर मजबूर नइ किये जा सकय.

अनुच्छेद-21. (1) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल अपन देस के शासन मे प्रत्यक्ष रुप ले या अप्रत्यक्ष रुप ले या स्वतन्त्र रुप ले चुने गे प्रतिनिधि मन के जरिए हिस्सा ले के हक हे.

(2) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल अपन देस के सरकारी नौकरी मन ल प्राप्त करके के अधिकार हावय.

(3) सरकार के सत्ता के अधार जनता के इच्छा होही. ये इच्छा के प्रकटन (आगू रखई) समे-समे म अऊ वास्तविक चुनाव मन के द्वारा होही.

ये चुनाव सार्वभौम (सबो बर) अऊ समान मताधिकार दवारा होही अऊ गुप्त मतदान द्वारा या कोनो अऊ समान स्वतंत्र मतदान पद्धति ले कराये जाही.

अनुच्छेद-22. समाज के एक सदस्य के रुप म हरेक मनखे ल सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हावय. अऊ हरेक मनखे ल अपन व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास अऊ गौरव बर जोन राष्ट्रीय प्रयत्न या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अऊ हरेक राज्य के संगठन अऊ साधन के अनुकूल होवय- अनिवार्यतः जरुरी आर्थिक, सामाजिक, अऊ सांस्कृतिक अधिकार मन ल पाय के अधिकार हावय.

अनुच्छेद-23. (1) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल काम करे, अपन मरजी अनुसार रोजगार के चुनाव, काम के उचित अऊ सुभीता जनक स्थिति मन ल पाय के अऊ बेकारी ले संरक्षण पाय के हक हावय.

(2) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल समान काम बर बिना कोनो भेदभाव के समान मजदूरी पाय के अधिकार हावय.

(3) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल, जोन काम करते हे, अधिकार हावय के वो हा अतका उचित अऊ अनुकूल मजदूरी पावय, जेकर ले वोहा अपन बर अऊ परिवार बर अइसन आजीविका के प्रबंध कर सकय, जोन मानवीय गौरव के लायक होवय अऊ जरुरत होय म ओकर पूर्ति अन्य परकार के सामाजिक संरक्षण मन ले हो सकय.

(4) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल अपन हित के रक्छा बर श्रमजीवी संघ बनाये अऊ वोमा भाग ले के अधिकार हावय.

अनुच्छेद-24. हरेक मनखे (व्यक्ति) ल आराम अऊ छुट्टी के अधिकार हावय. येकर अन्तर्गत काम के घन्टा के सही सीमा अऊ समे-समे म मजदूरी सहित छुट्टी सामिल हे.

अनुच्छेद-25. (1) हरेक मनखे ल अइसन जिनगी स्तर ल पाय के अधिकार हे, जोन ओकर अऊ ओकर परिवार के स्वास्थ्य अऊ कल्यान बर पर्याप्त होवय. येकर अन्तर्गत खाना कपड़ा, मकान, इलाज के सुभीता, अऊ जरुरी सामाजिक सेवा मन सामिल हावय. सबो ल बेकारी, बीमारी, लाचारी, विधवा, विधुरपन, बुढ़ापा या अऊ कोनो अइसन परिस्थिति म साधन नइ होय के हालत म, जोन ओकर काबू ले बाहिर हे, सुरक्षा के हक हावय.

(2) जचकी होय दाई अऊ लइका ल खास मदद अऊ सुभीता के हक हावय. हरके सिसु का चाहे वोहा शादीशुदा माता के जनमे होवय, चाहे बिना शादी शुदा ले, बरोबर सामाजिक संरक्षन पाय के अधिकार हावय.

अनुच्छेद-26. (1) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल सिक्छा के अधिकार हावय. सिक्छा कम ले कम प्रारंभिक अऊ बुनियादी हालत म मुफत म होही. प्रारंभिक सिक्छा अनिवार्य होही. टेक्निकल, यांत्रिक अऊ बेवसाय संबंधी सिक्छा सधारन रुप ले मिलही अऊ ऊंच (उच्चतर) सिक्खा सबो बर योग्यता के अधार म समान रुप ले उपलब्ध होही.

(2) सिक्छा के उद्देश्य मनखे के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास अऊ मानव अधिकार मन के संग जरुरी स्वतन्त्रता के प्रति आदर के भाव होही. सिक्खा के द्वारा सबो राष्ट्र, जाति अऊ धार्मिक समूह मन के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता अऊ मित्रता के विकास होही. अऊ सान्ति बनाये रके बर जमो संयुक्त राष्ट्र मन के कोसिस ल आघू बढ़ाये जा सकही.

(3) दाई-ददा ल सबले पहले ये बात के अधिकार हावय के कोन किसम के सिक्छा अपन बच्चा मन ल दिये जाही.

अनुच्छेद-27. (1) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल स्वतन्त्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन म हिस्सा ले के, कला मन के आनन्द लेय के अऊ वैज्ञानिक तरक्की अऊ ओकर सुभीता मन म भाग लेय के हक हावय.

(2) हरेक मनखे (व्यक्ति) ल कोनो भी वैज्ञानिक, साहित्यिक अऊ कलात्मक कृति ले उत्पन्न नैतिक अऊ आरथिक हित मन के रक्खा के हक हावय. जेकर रचने वाला ओहा खुद होय.

अनुच्छेद-28. हरेक मनखे (व्यक्ति) ल अइसन समाजिक अऊ अंतर्राष्ट्रीय बेवस्था ल पाय के अधिकार हे. जोन म ये घोसना म उल्लेख किये गे जमो अधिकार अऊ स्वतन्त्रता मन ल पूर्ण रुप ले पाये जा सकय.

अनुच्छेद-29. (1) हरेक मनखे (व्यक्ति) के वो समाज के प्रति कर्त्तव्य हावय, जोन म रहिके ओकर व्यक्तित्व के स्वतन्त्र अऊ पूर्ण विकास संभव होवय.

(2) अपन जमो अधिकार अऊ स्वतन्त्रता मन के उपयोग करत हुये, हरेक मनखे सिरिफ अइसन सीमा मन ले बद्ध होही, जोन कानून द्वारा निश्चित करे जाही, अऊ जेकर एक मात्र उद्देश्य दूसर के सबो अधिकार अऊ स्वतंत्रता मन बर आदर अऊ समुचित स्वीकृति के प्राप्ति होही, अऊ जेकर आवश्यकता एक प्रजातन्त्रात्मक समाज म नैतिक, सार्वजनिक बेवस्था अऊ सामान्य कल्यान के उचित आवश्यकता मन ल पूर्ण करे जाही.

(3) ये जमो अधिकार अऊ स्वतंत्रता मन के उपयोग कोनो परकार ले भी जमो संयुक्त राष्ट्र मन के सिद्धान्त अऊ उद्देश्य मन के विरुद्ध नइ किये जा सकही.

अनुच्छेद-30. ये घोसना म लिखे हुये कोनो भी बात के ये अरथ नइ लगाना चाही जेकर ले ये मालूम होवय के कोनो भी राज्य, समूह, या मनखे (व्यक्ति) ल कोनो अइसन कोसिस म संलग्न होयके अऊ अइसन काम करे के अधिकार हावय, जेकर उद्देश्य इहां बताये गेय जमो अधिकार अऊ स्वतन्त्रता मन से कोनो ल भी बिनास करना होवय.